न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 75/2017

1. श्रीमती लाडा पुत्री लादू पत्नी जगन्नाथ जाति खाती निवासी सरवर तहसील अरांई जिला अजमेर (हाल निवासी ग्राम झराना तहसील पीपलू जिला टोंक)
2. श्रीमती सीता उर्फ गीता देवी पुत्री लादू पत्नी मदनलाल जाति खाती निवासी सरवर तहसील अरांई जिला अजमेर (हाल निवासी सुंदर नगर अजमेर रोड़ किशनगढ़ जिला अजमेर)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शिवराज पुत्र चतुर्भुज
2. श्री महावीर पुत्र चतुर्भुज
   समस्त जातिगण खाती निवासी सरवर तहसील अरांई जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

4. श्रीमती ज्याना देवी पुत्री लादू पत्नी रतनलाल जाति खाती निवासी सरवर तहसील अरांई जिला अजमेर (हाल निवासी बरोल तहसील मालपुरा जिला टोंक)

—प्रफोर्मा अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़, प्रार्थी।

2. एक्स पार्टी, अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः— 08.11.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी मौजा ग्राम खरवड तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
200—281	463	19—14—00	बा. अ.

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम जरिये विरासत इन्द्राज होती चली आनी चाहनी थी किन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा वाद वर्णित पैतृक आराजीयात का प्रार्थीयांगण के पिता को बरगलाकर प्रार्थीयांगण के बाहर रहने का नाजायज फायदा उठातें हुये जरियें लादू के जाइन्दा संतान प्रार्थीयांगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी को विलोपित करते हुये संपूर्ण आराजीयात का वसीयतनामा तैयार करवाकर अपने नाम इंद्राज करवा ली जो कि किसी भी नियम एवं कानून के तहत नहीं हो सकती थी एवं ऐसा

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

करने का उन्हें कोई हक या अधिकार नहीं था जिससे उक्त वसीयत प्रार्थीयांगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रारंभ से ही शून्य तथा प्रभावहीन है। यह कि उक्त अवैध शून्य एवं प्रभावहीन दस्तावेज के आधार पर राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करते हुये वाद वर्णित आराजीयात का नामान्तरण अपने नाम जरियें वसीयत इन्द्राज करवा लिया गया। उक्त अवैध इंद्राज के आधार पर अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 के हक में इंद्राज करवा लिया गया जो शुरू से ही शून्य एवं प्रभावहीन होने से प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी के हक अधिकारों पर शून्य एवं प्रभावहीन है। यह कि वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीयांगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी के संयुक्त कब्जे के स्वामित्व की आराजीयात किन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 एनकेन प्रकारेण वाद वर्णित आराजीयात को हड़पना चाहते थे तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रार्थीयांगण के पिता के देहांत पश्चात उक्त आराजीयात को प्रार्थीयांगण से काश्त हेतु सीर पर ले ली तथा प्रार्थीयांगण एवं प्रफोमा अप्रार्थी को कृषि उपज का हिस्सा अदा करते चले आ रहे थे। इस वर्ष प्रार्थीयांगण द्वारा उक्त वाद वर्णित आराजीयात को प्रार्थीयांगण द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को काश्त करने हेतु मना किया तब अप्रार्थी सं. 1 व 2 ऐलानिया धमकी दी गयी कि उक्त आराजीयात हमने कब की ही हमारे नाम इंद्राज करवा ली है तथा हम रहन बेचान हस्तान्तरण करेगें तथा हमारे नाम हुये इंद्राज को पुख्ता करने के लिए ही हमने तुम्हारे से सीर पर ली थी। यह कि प्रार्थीयांगण द्वारा तहसील सरवाड़ जाकर राजस्व रिकॉर्ड के बारे में मालूमात की तथा दिनांक 03.07.2017 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकलें प्राप्त करने पर उक्त अवैध इंद्राज के बारे में पता चला तो प्रार्थीयांगण के पैरो तले जमीन खिसक गयी जिससे उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक एवं लाजमी हुआ है। यह कि दिनांक 12.07.2017 को प्रार्थीयांगण अपने खेत पर बुआयी करने गयी तो अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने ऐलानियां धमकी दी कि उक्त आराजीयात हमारे नाम है एवं लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गये जिससे अप्रार्थीगणों को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित है। यह कि उक्त अवैध शून्य एवं प्रभावहीन दस्तावेज के आधार पर किये गये इंद्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीयांगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी के नाम इंद्राज किया जाना एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु अप्रार्थीगण सं. 3 को आदेशित किया जाना आवश्यक होकर न्यायोचित है। यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीयांगण को बहुवाद की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा एवं अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:–

- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम खरवड संवत् 2055–2058
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम खरवड़ संवत्2070–2073
- प्रतिलिपी नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम खरवड़
- प्रतिलिपी वसीयत पत्र लादू पुत्र रोडू
- प्रतिलिपी प्रमाण पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत झीरोता

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामीली अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

जाकर जवाब बंद किया गया। बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी पैतृक है एवं उनके पिता लादू के नाम दर्ज थी। लादू के प्रार्थीगण व अप्रार्थी 4 की कुल 3 पुत्रियां है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई संतान नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा स्वर्गीय लादू की पैतृक सम्पति जरिये वसीयत अपने नाम करवा ली। विवादित आराजी पैतृक होने से उसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 का हिस्सा है। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाए।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। बहस के तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं

प्रार्थना पत्र पर विधिक मनन किया गया परंतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत झीरोता के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 स्वर्गीय लादू पुत्र रोडूलाल की पुत्रियां है। (वर्तमान में विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज है) जिनकों स्वर्गीय लादू की आराजी में कोई हक अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। अतः पृथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 स्वर्गीय लादू की संतान है परंतु अपने पिता की भूमि पर उन्हें कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हुए है।

आर.आर.डी. 2000 पेज 28 में स्पष्ट उल्लेखित है कि " सुविधा का संतुलन के लिए देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी वरिस्पत निषेधाज्ञा जारी होने से। उक्त दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर सटीक चस्पा होता है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।

यदि विवादित आराजी आगे बेचान हो जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति संभावित है।

प्रकरण के गुणवगुण पर सम्यक् विवेचन तथा मनन के उपरांत विवादित भूमि जो कि वादपत्र की मूल विषय वस्तु है, को सुरक्षित व संयमित बनाए रखने, पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता की संभावना को कम करने तथा पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड तथा रहन की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाए रखें।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड
सरवाड (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:31:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: